न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No–UP06548

(CNR NO–UPJS01– 006991–2023)

सत्र परीक्षण संख्या–1394/2023

सरकार बनाम राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह ।

धारा–३०६ भा०दं०सं०

थाना–मऊरानीपुर, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–५६०/२०२३

आरोप

मैं **पी० एन० मिश्र**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** पर निम्न आरोप लगाता हूँ कि–

यह कि दिनांक ०४.१२.२०२२ को समय अज्ञात बजे, स्थान–अदम तहरीर थाना–मऊरानीपुर, जिला–झाँसी में आपने वादिया मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र को गांलिया व धमकियां देकर अपमानित किया, जिससे वादिया मुकदमा के पुत्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार आपने वादिया मुकदमा के पुत्र को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने धारा–३०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–०३.०१.२०२४

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्त उपस्थित है, आरोप उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–०३.०१.२०२४

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

Digitally signed by PADAM NARAIN MISHRA
Date: 2024.01.03 16:07:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No–UP06548

(CNR NO–UPJS01– 006991–2023)

सत्र परीक्षण संख्या–1394/2023

सरकार बनाम राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह ।

धारा–३०६ भा०दं०सं०

थाना–मऊरानीपुर, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–५६०/२०२३

आदेश

१– पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** जैरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

२– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्त के दोष को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

३. मैने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४. उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मै इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** ने धारा– ३०६ भा० द० सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५. अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्त **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** ने धारा– ३०६ भा० द० सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–**१८.०१.२०२४**को पेश हो।

दिनांक–०३.०१.२०२४

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।